



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: ११२ /12-1

दिनांक 17/ 10/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,  
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद-टिहरी गढवाल में मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या-605/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी जाजल तक रोड़ का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु 4.69 है० वन भूमि का नवनिर्माण प्रस्ताव सं०-(FP/UK/ROAD/144340/2021)

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्रांक-08बी/यू०सी०पी०/०६/३९/२०२२/एफ०सी०/३५३ दिनांक ०८-०६-२०२२ के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित से इंगित कमियों का निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-1632/6एम०जी० दिनांक ०५-०९-२०२२ से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The villages along the proposed road are already well connected with more than one road. The proposed route only caters to some part of the habitation. Hence, the justification that the proposed road will benefit all the villagers does not seem to be reasonable. State Government may review the same and submit the clarification/justification in this regard.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस मार्ग के निर्माण से ग्राम सभा हाडीसेरा, रौन्देली, ग्राम शिवपुरी, ढाईगला सीधे लाभान्वित होंगे तथा ग्राम मटियाला व पसर मय क्यारक के लिये पार्श्व रूप से जुड़ने से लाभ प्राप्त होगा इसके अतिरिक्त इस मार्ग के निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-58 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-94 को जोड़ने हेतु एक बाईपास मार्ग के उपयोग में चारधाम एवं अन्य यात्राओं के समय शिवपुरी एवं जाजल के मध्य वर्तमान स्थित मार्ग से 34.00 कि०मी० कम दूरी तय करनी होगी, जबकि वर्तमान में ये दूरी 57.00 कि०मी० है।
2	The basic premise given for the construction of the proposed route is to connect NH-58 with NH-94. However, the starting point does not seem to connect with any route. State Government may submit the clarification in this regard.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के साथ Upload KML File मात्र 7.250 कि०मी० लम्बाई की है, मार्ग के जिस भाग में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। चूंकि मार्ग शिवपुरी (एन०एच०-58) की ओर से 10.00 कि०मी० एवं जाजल की ओर से 5.750 कि०मी० मार्ग पूर्व में ही विभिन्न योजनाओं में निर्मित किये जा चुके हैं। मार्ग के सम्पूर्ण 23.00 कि०मी० हेतु गूगल मैप की छायाप्रति संलग्नक-01 के अनुसार प्रेषित है जिसमें मार्ग एन०एच०-58 एवं एन०एच०-94 को जोड़ता है। (संलग्न-1)
3	The proposed road which seems to be avoidable due to presence of multiple roads will lead to the further degradation of the fragile eco-system. The state Government may also justify as to how the benefits of the proposed route outweigh the environmental losses considering the fact that access roads are already available for the villagers.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-58 को आपस में जोड़ेगा जिससे यह मार्ग चारधाम यात्रा के वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी प्रयोग किया जा सकेगा। यह क्षेत्र शिवपुरी के समीप है, जो विश्व प्रसिद्ध राफिटिंग केन्द्र है शिवपुरी में ही वर्तमान में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर स्थित रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी गतिमान है। इस मार्ग के निर्माण से खाड़ी, चम्बा, टिहरी एवं गजा आदि क्षेत्र के यात्रियों को कर्णप्रयाग अथवा दिल्ली जाने में कम समय में यात्रा करना उपलब्ध हो पायेगा। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय ग्रामवासियों के साथ-साथ पर्यटन चारधाम यात्रा के अतिरिक्त बरसात में जब

१९.



		राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-94 भूस्खलन के कारण अवरूद्ध होगा तब यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-94 के लिये एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी उपयोग किया जायेगा। मार्ग के निर्माण से शिवपुरी एवं जाजल के मध्य 34.00 कि०मी० की दूरी कम हो जायेगी। इस प्रकार मार्ग निर्माण से होने वाले लाभ पर्यावरणीय हानियों से अधिक है।
4	It is noticed that administrative approval was accorded to the project in 2014. State Government is required to re-validate the proposal after taking into consideration various projects carried out in the region during the intervening period and submit a fresh administrative approval after with substantial justification.	बिन्दु संख्या-04 के क्रम में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष-2014 में ही प्राप्त हुई थी प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त मार्ग से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव सं० submit FP/UK/ROAD/13565/2015 ऑन लाईन कर दिया गया था यह प्रस्ताव दो लेन मार्ग हेतु तैयार किया गया था जिसमें तुलनात्मक रूप से अधिक वन भूमि तथा वृक्ष प्रभावित हो रहे थे। अधिक वृक्ष प्रभावित होने के कारण इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी तत्पश्चात वृक्षों एवं पर्यावरण को होने वाली क्षति को न्यूनतम करने हेतु मार्ग को एक लेन में निर्मित करने तथा 7.00 मी० चौड़ाई में वन भूमि प्रस्ताव गठित करने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति प्राप्त होने से वर्तमान तक क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं पर तो कार्य हुआ है, परन्तु प्रस्तावित मोटर मार्ग के विकल्प के रूप में अन्य कोई परियोजना नहीं बनी है। इस कारण पूर्व में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति आज भी प्रभावी है अतः नई प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
5	Name of the proposal is mentioned as double lane motor road however a width of 7m is proposed. State Government is required to submit Necessary clarification in this regard.	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति डबल लेन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्राप्त हुई थी। इस मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/13565/2015 इस आपत्ति के साथ निरस्त कर दिया गया कि मार्ग निर्माण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की सं०-1269 है जो कि बहुत अधिक है। इसके पश्चात उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया की मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जाये जिससे न्यूनतम वृक्ष एवं न्यूनतम वन भूमि प्रभावित हो इस कारण मार्ग के निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में ही प्रस्ताव गठित किया गया है।
6	Proceedings of Sub Divisional Level committee meeting are not found uploaded.	बिन्दु संख्या-06 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा Proceedings of Sub Divisional Level committee meeting भाग-1 के पैरा K(a) एवं एडिशनल कॉलम के क्रम सं० 23 में अपलोड कर दिया गया है।
7	Proceeding of Village Level Committee meeting for village Raundeli and Pasar have been submitted but name of village Shivpuri is mentioned in village wise breakup at para B 2.4 State Government is requested to remove this discrepancy and upload the correct information in this regard.	बिन्दु संख्या-07 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग निर्माण के दौरान वास्तविक रूप से ग्राम सभा रौन्देली एवं ग्राम सभा पसर मय क्यारकी की भूमि ही प्रभावित होगी। जबकि मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों में शिवपुरी भी सम्मिलित है। मार्ग निर्माण से भूमि के प्रभावित न होने के कारण ग्राम स्तरीय समिति की बैठक में ग्राम सभा शिवपुरी प्रदर्शित नहीं की गयी है। तथा तद्दानुसार भाग-1 के पैरा-बी 2.4 में उपरोक्तानुसार संशोधन कर दिया गया है।
8	As per DSS analysis, 3 ha area found in MDF proposed in civil soyam land. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hactare can be accommodated or not. if not, than plantation scheme as per guidelines dt.	बिन्दु संख्या-08 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मोटरमार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 9.38 है० ग्राम-हाडिसेरा, पट्टी कुंजणी, पटवारी क्षेत्र-ओडाडा, तहसील-गजा जिला-टिहरी गढवाल की सिविल सोयम भूमि में प्रस्तावक विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के सक्षम



	08.11.2017 may be submitted. State Government may submit the DGPS map, shape file of the area selected for afforestation of balance seedling which cannot be affoested of balance seedilings which cannot be afforested in the civil Soyam land identified for raising compensatory afforestation.	अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा दिनांक-24.09.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें उपरोक्त क्षेत्र 1000 पौध प्रति हे० की दर से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया गया तत्संबन्धी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-2)
9	The proposed area falls in the eco-sensitive zone of Rajaji Tiger Reserve. A wildlife mitigation plan to stop the human wildlife conflict of Rs 67.10 lakh is submitted. As directed and decided earlier in certain proposals of Utrakashi division, it is requested that the amount of same will not be charged from the user agency and if required the same may be taken from NPV fund etc.	बिन्दु संख्या-09 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत गया है कि मिटिगेशन प्लान की धनराशि के सम्बन्ध में उत्तरकाशी वन प्रभाग के प्रस्ताव में पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार अथवा इस प्रस्ताव में सम्बन्ध में जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
10	In the CA scheme uploaded online is part II, number of saplings to be planted per heactare is mentioned as 410. The CA scheme is required to be reviewed as per the guidelines i.e 1000 plants to be planted per hectare.	बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 1000 वृक्ष प्रति हे० की दर से संशोधित क्षतिपूरक वनीकरण योजना भाग 2 के पैरा 13(iv) में अपलोड कर दी गयी है जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-3)
11	An estimate of Rs 1.59 lakh is prepared for construction of RCC pillar and it has been submitted that the same will be paid to forest department. State Government is required to clarify as to which agency will construct the RCC pillars.	बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि आर०सी०सी० पिलरों के द्वारा सीमांकन की धनराशि 1.59 लाख मात्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण वन विभाग द्वारा ही किया जायेगा।
12	The geologist report prepared in 2015 is submitted. State Government may uploaded a fresh geologist report.	बिन्दु संख्या-12 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा नवीन भूगर्भ-वैज्ञानिक की आख्या ऑनलाईन भाग-1 के एडिशनल कॉलम के क्र०सं०-33 में अपलोड कर दी गयी है। जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-4)
13	It is Calculated that 1,58,688 cum of muck will be generated out of which 45,948 cum will be utilized. Instead of muck disposal scheme for balance 1,12,740 cum of debris a detailed plan of muck disposal of only 52,927 cum at 5 sites is submitted. State Government is required to identify the additional land re-submit the proposal accordingly.	बिन्दु संख्या-13 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा संशोधित मकडिस्पोजल प्लान उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-5)
14	NPV is calculated at old rates. State Government is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rates.	बिन्दु संख्या-14 के अनुपालन में नवीन दरों पर संशोधित NPV की धनराशि का आंकलन के भाग-1 के एडिशनल कॉलम के क्र०सं०-35 में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-6)
15	A comparment wise tree enumeration List is found submitted. State Government is requested to submit the species wise summary of trees enumeration in a single chart.	बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा प्रजातिवार प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश भाग-1 के एडिशनल कॉलम में अपलोड किया गया है। जिसकी प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-7)
16	Girth wise detail of trees is uploaded at para 4 in part II does not match with tree enumeration list given in the proposal. State Government is requested to remove this discrepancy and uploaded the correct information is this regard.	बिन्दु संख्या-16 के अनुपालन में व्यासवार प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूचि संशोधित कर भाग-2 के एडिशनल कॉलम में अपलोड कर दी गयी है जिसकी Grith wise Detail प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है। जिसकी प्रति मय

१९.



		संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-8)
17	CA site suitability certificate uploaded in part I is not countersigned by DFO. State Government may upload the site suitability certificate of CA area duly countersigned by teh concerned DFO.	बिन्दु संख्या-17 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र भाग-1 के एडिशनल कॉलम के क्र०सं०-34 में अपलोड किया गया है। जिसकी प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-9)
18	In District profile given in part II it is mentioned that 6512.45 ha of forest land is diverted and against which CA has been carried out on 7807.48 ha land. the CA carried out does not seem to be commensurate with the forest land diverted This may be reviewed by the State Government.	बिन्दु संख्या-18 के क्रम में अवगत कराना है कि 01 हे० से अधिक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में ही क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दोगुनी भूमि भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार प्रस्तावित होती है। 01 हे० से नीचे के प्रकरणों में क्षतिपूरक वनीकरण नहीं किया जाता है, जिस कारण हस्तान्तरित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण (Stipulated CA) के क्षेत्रफल में भिन्नतायें आ रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार :-

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।